

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-25/18-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुकरा तीडू

- विक्रेता

सुसारी मुन्डाईन

- क्रेता

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश

आवेदक सुकरा तीडू पिता स्व० बेनेदिक तीडू ग्राम असलमाड़ी, थाना कर्रा, जिला खूँटी, ने सुसारी मुन्डाईन पति प्रभूदान होरो ग्राम असलमाड़ी, थाना कर्रा, जिला खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)
असलमाड़ी	61	18	282	0.22

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 930083 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 634 दिनांक 27.07.18 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बन्दुआ पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार डुरुसु पहान वगैरह है। आवेदक के पास रकबा 7.01 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 1470.00(एक हजार चार सौ सत्तर)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 6.79 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण सुकरा तीडू पिता स्व० बेनेदिक तीडू को सुसारी मुन्डाईन पति प्रभूदान होरो के साथ ग्राम असलमाड़ी के खाता सं० 18 खेसरा संख्या 282 का रकबा 0.22 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1470.00(एक हजार चार सौ सत्तर)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

14/08/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।

14/08/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
खूँटी।